न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र / 41 / 2021

पंकज कुमार गौतम पुत्र श्री क्षेत्रपाल गौतम निवासी मकान नं. 27 सरस्वती विहार बालाली पुरम औरगांबाद खादर मथुरा यू0पी0

......प्रार्थी0

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक भरतपुर

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बाबत वाहन बोलेरो मेक्सी ट्रक प्लस रजि. नंबर यूपी 85 / 1169 इंजिन नं. ईए.एल. 1ए 12245 चैसिस नमबर एमए1 जेडपी2ईएकेएल 1ए18362 वसिलसिले एफआई आर नंबर 164 / 2021 पुलिस थाना नगर अंतर्गत धारा 5,6,7 / 8 राजस्थान गोवंश अधिनियम।

निर्णय

दिनांक 7.04.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र जप्त वाहन वोलेरो मेक्सी ट्रक प्लस रजि. नंबर यूपी 85 / 1169 सुपुर्दगी दिये जाने हेतु पेश किया है, जो संक्षेप में इस प्रकार है प्रार्थी बोलेरो मेक्सी ट्रक का रजिस्टर्ड स्वामी है। पुलिस थाना नगर प्रार्थी के उक्त वाहन को दिनांक 9–4–21 को आरसी मोड से उक्त मुकदमा में जप्त किया है। जप्त वाहन पुलिस थाना परिसर में खुले में खड़ा हुआ है। थाना परिसर में खड़े रहने प्रार्थी का वाहन खराब हो रहा है। प्रार्थी अपने उक्त वाहन को भाड़े पर चला कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। जप्त वाहन को प्रार्थी की सुपुर्दगी में दिया जावे प्रार्थी न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी पावंदियों का पालन करने को तैयार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पुलिस थाना नगर से रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त रिपोर्ट शामिल मिसिल की गई। प्रार्थी अभिभाषक को सुना गया।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने कथनों में दोहराया कि प्रार्थी जप्त वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी है। प्रार्थी वाहन को भाड़े पर चलाता है। पुलिस थाना ने वाहन को गलत जप्त किया है। पुलिस थाना नगर ने गौवंश परिवहन कर ले जाते हुये गौवंश अधिनियम के तहत वाहन गलत जप्त किया है। पकड़े गये मुलजमान जमानत पर रिहा हो चुके हैं। पुलिस थाना नगर को जप्त वाहन की कोई जरुरत नहीं है। उनका यह भी कहना है कि प्रार्थी अपने वाहन को भाड़े पर चला कर परिवार का

........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

प्रा0पत्र / 41 / 2021
पंकज कुमार गौतम बनाम सरकार

भरण पोषण करता है। वाहन के जप्त हो जाने से परिवार के लिये आर्थिक संकट हो गया है। जप्त वाहन थाना परिसर में खुले में खड़ा है, जिसके धूप वर्षात से खराब हो जावेगा है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जप्त वाहन रजि. नंबर यूपी 85 / 1169 सुपुर्दगी में दिया जावे, न्यायालय जो भी शर्त लगायेगा प्रार्थी को मंजूर होगी।

पुलिस थाना नगर से प्राप्त रिर्पोट में अंकित किया है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 9–4–21 को मुखबिर से सूचना मिली कि एक सदिग्ध पिकअप में कुछ लोग गौवंश को गौकसी के लिये हरियाणा ले जारहे हैं। पिकअप यूपी 85 / 1169 को रोका गया। पिकअप अबोलेरो की पीछे से लोहे की बंद बोडी है जो ऊपर से खुली हुई है चेक किया तो उक्त वाहन में 6 गौवंश जिनमें 3 गाय व 3 बंछियां रस्सियों से मुंद व बाडी निर्दयता पूर्व कस कर बन्धी हुई पाई गई। पकड़े गये दोनों व्यक्तियों से उक्त गौंवश के बारे में पूछा गया तो गौकशी हेतु ले जाना बताया। जिसपर पकड़ गये दोनों व्यक्तियों ने अपना पता टीकम सिंह पुत्र घनश्याम जाति जाट उम्र 22 साल निवासी लोरिया पट्टी थना मगोरा जिला मथुरा व दूसरे ने अपना नाम   शाहरुख पुत्र कलुआ जाति मनिहार उम्र 21 साल निवासी उसपार थाना नरौली जिला मथुरा यूपी बताया। इनका कृत्य अपराध धारा 5,6 / 8 आरबीए एक्ट पाये जाने पर गिरफतार किया जाकर हिरासत पुलिस में लिया गया तथा वाहन को बतौर साधन अपराध जप्त कर कब्जा पुलिस में लिया गया है।

पैरोकार सरकार ने जाहिर किया कि उक्त वाहन राजस्थान से गौवंश तस्करी कर हरियाणा राज्य में ले जाते हुये मय गौवंश पकड़ा गया है। उक्त वाहन मय गौंवश हरियाणा ले जाते हुये पुलिस थाना खोह ने धारा 5.8 राजस्थान गोवशीय अधिनियम के तहत जप्त किया गया है, एफआईआर संख्या 219 / 2021 थाना खोह में दर्ज है। प्रकरण में तफतीश जैरकार है। प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया । पुलिस थाना नगर से प्राप्त रिर्पोट का अध्ययन किया गया। पुलिस थाना नगर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि जप्त वाहन बोलेरो मेक्सी ट्रक प्लस रजि. नंबर यूपी 85 / 1169 राजस्थान से बाहर हरियाणा राज्य में गौंवश गौकसी के लिये तस्कीरी अपराध में संलिप्त था। प्रथमदृष्टया प्रार्थी का वाहन को गौकसी के लिये गौंवश को राजस्थान से बाहर हरियाणा राज्य में बतौर परिवहन करते पाये जाने पर पुलिस थाना ने बतौर साधन अपराध जप्त किया गया है। पुलिस थाना नगर द्वारा कार्यवाही जैर अनुंसाधन है। अस्तु प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी काबिल खारिज के रहता है।

.........3

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

प्रा0पत्र / 41 / 2021
पंकज कुमार गौतम बनाम सरकार

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पुलिस थाना को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 5.4.2022 को लिखा जाकर सुनाया गया

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,भरतप